महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

विद्या-परिषद् की आठवीं बैठक

कार्यवृत्त

12 मार्च, 2007

सुबह 11:00 बजे

सभा कक्ष, विश्वविद्यालय विस्तार कार्यालय

ज़िला क्रीड़ा संकुल भवन, जाजूवाड़ी, वर्धा

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या-परिषद् की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान – ज़िला क्रीड़ा संकुल भवन, जाजूवाड़ी, वर्धा

दिनांक – 12 मार्च, 2007 *(सुबह 11:00 बजे)*

अनुक्रमणिका

मद सं.	*विवरण*	*पृष्ठ सं.*
1.	विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।	[001–002]
2.	विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।	[002]
3.	विजन प्लान के संदर्भ में संपन्न विद्या-परिषद् की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।	[002]
4.	स्कूल बोर्ड की पहली एवं दूसरी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं निर्णयों के अनुसरण में 11 वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों को स्वीकृति।	[003]
5.	विद्या-परिषद् संबंधी परिनियम पर विचार एवं अनुमोदन।	[003]
6.	'एम.ए. जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण' के पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम में (चतुर्थ छमाही) में किये गये संशोधन को मंजूरी।	[004]
7.	प्रौढ़ सतत-शिक्षा, विस्तार एवं सुदूर-क्षेत्र केंद्र के अन्तर्गत 'जनसंचार एवं संप्रेषणी हिन्दी' के संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन।	[004]
8.	प्रो. बिपिन चंद्रा समिति की रिपोर्ट के तारतम्य में शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुशंसाएँ एवं उसके अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक विषयों के संदर्भ में की गयी कार्यवाहियों पर विचार एवं अनुमोदन।	[005]
9.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।	

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की आठवीं बैठक

कार्यवृत्त

महात्मा **गां**धी **अ**न्तरराष्ट्रीय **हि**न्दी **वि**श्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की आठवीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 12 मार्च, 2007 को सुबह 11:00 बजे विश्वविद्यालय विस्तार कार्यालय - ज़िला क्रीड़ा संकुल भवन, जाजूवाड़ी, वर्धा के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	-	कुलपति एवं अध्यक्ष, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा।
2)	प्रो. ए. अरविंदाक्षन	-	सदस्य
3)	प्रो. इन्द्रनाथ चौधुरी	-	सदस्य
4)	प्रो. एस. तंकमणि अम्मा	-	सदस्य
5)	श्री के.जी. बालकृष्ण पिल्लई	-	सदस्य
6)	डॉ. गंगा प्रसाद विमल	-	सदस्य
7)	श्री गोविन्द मिश्र	-	सदस्य
8)	प्रो. टी.आर. भट्ट	-	सदस्य
9)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	-	सदस्य
10)	डॉ. भास्कराचार्य त्रिपाठी	-	सदस्य
11)	श्रीमती मृदुला गर्ग	-	सदस्य
12)	डॉ. (श्रीमती) माजिदा असद	-	सदस्य
13)	श्री मधु मंगेश कर्णिक	-	सदस्य
14)	डॉ. रामदयाल मुण्डा	-	सदस्य
15)	श्री अनुप केशवदेव पुजारी	-	सदस्य

अन्य सदस्य – प्रो. राम गोपाल बजाज, प्रो. राम गोपाल गुप्ता, प्रो. उदय नारायण सिंह, श्री एस. आर. फारूकी, प्रो. इंदिरा गोस्वामी, प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी, प्रो. नित्यानंद तिवारी, प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी पूर्व प्रतिश्रुत होने एवं अन्य अपरिहार्य कारणवश उपस्थित न हो सके।

मद संख्या 4.

स्कूल बोर्ड की पहली एवं दूसरी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं निर्णयों के अनुसरण में 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों को स्वीकृति: विद्या-परिषद् की छठी बैठक में मद संख्या–4 के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में नए पाठ्यक्रम आरंभ किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था जिसके संदर्भ में विद्या-परिषद् ने पाठ्यक्रमों की अवधारणा और पाठ्यक्रम विवरण सहित विवरण प्रस्तुत करने का निर्णय किया था।

तदनुसार आगे कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय के स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्कूल बोर्ड की 18 दिसम्बर, 2006 को संपन्न पहली एवं 27 फरवरी, 2007 को संपन्न दूसरी बैठक में इस संदर्भ में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये। पहली एवं दूसरी बैठक के कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।

विद्या-परिषद् कृपया इन कार्यवृत्तों में उल्लिखित निर्णयों / की गई अनुशंसाओं के संदर्भ में विचार कर 11वीं पंचवर्षीय योजना से विश्वविद्यालय में आरंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों आदि अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान करे।

अनुलग्नक : (क) स्कूल बोर्ड की पहली बैठक का कार्यवृत्त (परिशिष्ट–3)

(ख) स्कूल बोर्ड की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त (परिशिष्ट–4)

स्कूल बोर्ड की दोनों बैठकों के कार्यवृत्त का अवलोकन कर विद्या-परिषद् ने इन्हें स्वीकृति प्रदान की। कार्यवृत्त 'एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य) के संशोधित पाठ्यक्रम का अवलोकन करने के बाद विद्या-परिषद् ने इसे नये सिरे से बनाने हेतु निम्नांकित 4 विशेषज्ञों की एक समिति गठित की :

(1) प्रो. इन्द्रनाथ चौधुरी
(2) प्रो. ए. अरविंदाक्षन
(3) प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय
(4) प्रो. एस. तंकमणि अम्मा

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की बैठक 7 एवं 8 अप्रैल, 2007 को दिल्ली में आयोजित होगी तथा समिति की अनुशंसाओं को विद्या-परिषद् की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

मद संख्या 5.

विद्या-परिषद् संबंधी अतिरिक्त परिनियम पर विचार एवं अनुमोदन : विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार पहली विद्या-परिषद् विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष – महामहिम राष्ट्रपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जायेगी तथा इस अवधि के पूरा होने के बाद अधिनियम की धारा 22(2) एवं परिनियम 14 तथा 15 में उल्लिखित विवरणानुसार अगली विद्या-परिषद् का गठन आदि विश्वविद्यालय के परिनियमों के तहत होंगे।

पहली विद्या-परिषद् का गठन 19 मई 2004 को हुआ था और वर्ष 2007 को यह अवधि समाप्त हो रही है। हैदराबाद (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परिनियमों के आधार पर विश्वविद्यालय का संबंधित अतिरिक्त परिनियम तैयार किया गया है जोकि विद्या-परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।

अनुलग्नक : विद्या-परिषद् के गठन आदि से संबंधित अतिरिक्त परिनियम का प्रारूप (पृष्ठ सं. 7)

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत परिनियम के प्रारूप को अनुमोदित किया।

मद संख्या 6.

'एम.ए. जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण' के पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम में (चतुर्थ छमाही) में किये गये संशोधन को मंजूरी : 'एम.ए. जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण' पाठ्यक्रम को विद्या-परिषद् ने दिनांक 27.03.2005 को सम्पन्न तीसरी बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। यह पाठ्यक्रम 2004–06 सत्र से पढ़ाया जाना आरंभ किया गया है। स्वीकृत पाठ्यक्रम में चतुर्थ छमाही में संबंधित अध्यापकों की तरफ से कुछ संशोधन प्राप्त हुए हैं जोकि विद्या-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं कार्योतर स्वीकृति हेतु नीचे दिये गये हैं :

क्रं. सं.	पाठ्यक्रम	संशोधित पाठ्यक्रम
1	नव संचार माध्यमों का अनुप्रयोग *4 क्रेडिट*	मीडिया प्रबंधन *4 क्रेडिट*
2	मीडियाप्रबंधन *4 क्रेडिट*	नव संचार माध्यमों का अनुप्रयोग *4 क्रेडिट*
3	ऐच्छिक – 1. श्रव्य प्रोडक्शन 2. दृश्य प्रोडक्शन **4 क्रेडिट** 3. वेब डिजाइनिंग	श्रव्य प्रोडक्शन **अथवा** दृश्य प्रोडक्शन **अथवा** वेब डिजाइनिंग
4	लघुशोध प्रबन्ध *4 क्रेडिट*	लघुशोध प्रबन्ध एवं मौखिकी *8 क्रेडिट*

विद्या-परिषद् कृपया इनका अनुमोदन करे।

विद्या-परिषद् ने पाठ्यक्रम में संशोधन को इस आधार पर स्वीकृति प्रदान की कि इसमें उल्लिखित अंग्रेजी भाषा के शब्दों यथा प्रोडक्शन, डिजाइनिंग आदि को हिन्दी में लिखा जाये।

मद संख्या 7.

प्रौढ़, सतत-शिक्षा, विस्तार एवं सुदूर-क्षेत्र केन्द्र के अन्तर्गत 'जनसंचार एवं संप्रेषणी हिन्दी' के संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन : विश्वविद्यालय की 20 जुलाई, 2006 को सम्पन्न सातवीं बैठक में मद संख्या 4 के तहत विश्वविद्यालय में प्रौढ़, सतत-शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम विभाग आरंभ करने का निर्णय लिया गया था तथा प्रस्ताव के साथ बैठक में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संबंधी प्रस्तुत रूपरेखा का भी अनुमोदन किया गया था। उस प्रारूप में आवश्यकतानुसार कुछ संशोधन कर *एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम* के रूप में आरंभ किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है। विद्या-परिषद् कृपया कार्योतर स्वीकृति प्रदान करे।

अनुलग्नक : संशोधित पाठ्यक्रम का प्रारूप। (पृष्ठ सं. 10-11)

विद्या-परिषद् ने संशोधित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर इसमें प्रयुक्त 'हिंग्लिश' जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करने तथा इनके स्थान पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के आधार पर पूर्ण रूप से हिन्दी भाषा का प्रयोग किए जाने की संस्तुति करते हुए इस पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 8.

प्रो. बिपिन चंद्रा समिति की रिपोर्ट के तारतम्य में शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुशंसाएँ एवं उसके अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक विषयों के संदर्भ में की गयी कार्यवाहियों पर विचार एवं अनुमोदन : विश्वविद्यालय के विविध मामलों के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष – महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रो. बिपिन चंद्रा की अध्यक्षता में एक तथ्य जाँच समिति गठित की गई थी। उक्त समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कुछ अनुशंसाएँ प्राप्त हुई हैं। इन अनुशंसाओं के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की जा चुकी एवं की जा रही कार्यवाहियों का विवरण संलग्न है। विद्या-परिषद् कृपया अकादमिक विषयों से संबंधित विषयों के संदर्भ में की गई कार्यवाही का अवलोकन एवं विचार कर अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

अनुलग्नक : (क) अनुशंसाओं के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाहियों का विवरण। (पृष्ठ सं. 13-19)
(ख) तथ्य जाँच समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में मंत्रालय से प्राप्त अनुशंसाएँ (पृष्ठ सं. 20-36)

इस विषय को विद्या-परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ।

बैठक के अंत में विद्या-परिषद् की अगली बैठक 10 अप्रैल, 2007 को दिल्ली में आयोजित की जाने तथा 'दक्षेस *(साऊथ एशियन एसोशिएसन फार रीजनल कोऑपरेशन)* की भाषाएँ और हिन्दी' विषय पर एक संगोष्ठी भारतीय भाषा परिषद् के सहयोग से मई, 2007 में कोलकाता में आयोजित की जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा कुलपति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने से हुई।

(अनुप केशवदेव पुजारी)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या-परिषद्
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,
वर्धा (महाराष्ट्र)